रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2015/ज्येष्ठ 21,1937
No. 384] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2015/JYAISTHA 21, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)
अधिसूचना
मुंबई, 11 जून, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2015

सा. का. नि. 484 (अ).- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे ।

बी) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में,

I.विनियम 2 में:

ए) खंड (iie) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

'(iif) "कर्मचारी' स्टाक आप्शन" का तात्पर्य किसी कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग कंपनी अथवा ज्वाइंट वेंचर अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली ओवरसीज़ सहायक कंपनी/यों, यदि कोई हों, के अपने/उनके निदेशकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को दिए गए उस आप्शन से है जो

निदेशकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी भावी तारीख में कंपनी के शेयरों की खरीद, अथवा उनमें अभिदान करने का लाभ अथवा अधिकार देता है;'

बी) खंड (x) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"(xa) "स्वेट ईक्विटी शेयर" का तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा उसके निदेशकों अथवा कर्मचारियों द्वारा उनके ज्ञान अथवा बौद्धिक संपत्ति स्वरूप का अधिकार अथवा मूल्य संवर्धन (Value additions) उपलब्ध कराने के लिए, भले ही उसका नाम कुछ भी क्यों न हो, नकद राशि से भिन्न स्वरूप में बट्टे अथवा प्रतिफल के रूप में जारी ईक्विटी शेयर से है;"

II. मौजूदा विनियम 8 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

"(1) कोई भारतीय कपनी अपने कर्मचारियों/निदेशकों अथवा अपनी होल्डिंग कंपनी अथवा ज्वाइंट वेंचर अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली ओवरसीज़ सहायक कंपनी/यों के कर्मचारियों/निदेशकों, जो भारत से बाहर के निवासी हैं, को "कर्मचारी' स्टाक आप्शन" और /अथवा "स्वेट ईक्वटी शेयर" जारी कर सकती है, बशर्ते :

ए) यह योजना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014, जैसा भी मामला हो, के तहत तैयार की गई हो।

बी) लागू नियमों/विनियमों के अंतर्गत अनिवासी कर्मचारियों/निदेशकों को जारी "कर्मचारी' स्टाक आप्शन" /स्वेट ईक्वटी शेयर संबंधित कंपनी के लिए लागू सेक्टोरल कैप के अनुपालन में होने चाहिए।

सी) जहां किसी कंपनी में विदेशी निवेश अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत होगा, वहां "कर्मचारी' स्टाक आप्शन" / "स्वेट ईक्वटी शेयरों को जारी करने के लिए भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा होगी।

डी) लागू नियमों/विनियमों के अंतर्गत कर्मचारी/निदेशक, जो बांग्लादेश/पाकिस्तान का नागरिक है, को "कर्मचारी' स्टाक आप्शन"/स्वेट ईक्वटी शेयर जारी करने के लिए भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा होगी।

(2) "कर्मचारी' स्टाक आप्शन"/स्वेट ईक्वटी शेयर जारी करने वाली कंपनी रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अंतराल पर अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।

[सं॰ फेमा॰ 344/2015-आरबी]

बी॰ पी॰ कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:—

मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.नि. सं.406(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010

सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 487 (अ) दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि. सं. 632 (अ) दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि. सं. 798 (अ) दिनांक 13.11.2014
जी.एस.आर. नं 799 (अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 800 (अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 829 (अ) दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि. सं. 906 (अ) दिनांक 22.12.2014
सा.का.नि. सं. 914 (अ) दिनांक 24.12.2014
सा.का.नि. सं. 30 (अ) दिनांक 14.01.2015
सा.का.नि. सं. 183 (अ) दिनांक 12.03.2015

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th June, 2015

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 484(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-

1. Short Title & Commencement:-

a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2015.
b) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations:-

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000),

I. In Regulation 2:

a) after clause (iie), the following new clause shall be added, namely:-

'(iif) "employees' stock option" means the option given to the directors, officers or employees of a company or of its holding company or joint venture or wholly owned overseas subsidiary/subsidiaries, if any, which gives such directors, officers or employees, the benefit or right to purchase, or to subscribe for, the shares of the company at a future date at a pre-determined price;'

b) after clause (x), the following new clause shall be added, namely :-

"(xa) "sweat equity shares" means such equity shares as issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash, for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions, by whatever name called;"

II. For the existing Regulation 8, the following shall be substituted, namely :

"(1) An Indian company may issue "employees' stock option" and/or "sweat equity shares" to its employees/directors or employees/directors of its holding company or joint venture or wholly owned overseas subsidiary/subsidiaries who are resident outside India, provided that :

a) The scheme has been drawn either in terms of regulations issued under the Securities Exchange Board of India Act, 1992 or the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified by the Central Government under the Companies Act 2013, as the case may be.

b) The "employee's stock option"/sweat equity shares issued to non-resident employees/directors under the applicable rules/regulations are in compliance with the sectoral cap applicable to the said company.

c) Issue of "employee's stock option"/sweat equity shares in a company where foreign investment is under the approval route shall require prior approval of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) of Government of India.

d) Issue of "employee's stock option"/sweat equity shares under the applicable rules/regulations to an employee/director who is a citizen of Bangladesh/Pakistan shall require prior approval of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) of Government of India.

(2) The Reserve Bank may require the company issuing "employees' stock option"and/or "sweat equity shares" to submit such reports and at such frequency as it may consider necessary.

[No. FEMA.344 /2015 RB]

B.P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008

G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012
G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013
G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.